भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या †*102

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

17 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय युवा कोर योजना

***102. श्री महेश कश्यपः**

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त योजना के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ओडिशा में विशेषकर भद्रक और बालासोर जिलों में उक्त स्वयंसेवकों की तैनाती, प्रशिक्षण में सहायता या कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बालासोर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2020 से विभिन्न विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए स्वीकृत और उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्ष - वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

राष्ट्रीय युवा कोर योजना के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री महेश कश्यप और श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी द्वारा दिनांक 08.12.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. †*102 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) वर्तमान में, देशभर में कुल 3,058 माई भारत युवा स्वयंसेवक (पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक) तैनात हैं। स्वयंसेवकों की तैनाती का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तैनात स्वयंसेवकों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22
आंध्र प्रदेश	277
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	0
बिहार	1088
चंडीगढ़	0
छत्तीसगढ़	0
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	0
गोवा	0
गुजरात	436
हरियाणा	272
हिमाचल प्रदेश	0
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख	0
झारखंड	0
कर्नाटक	0
केरल	0
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	0
महाराष्ट्र	0
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	0
ओड़िशा	0
पुडुचेरी	30
पंजाब	0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तैनात स्वयंसेवकों की संख्या
राजस्थान	0
सिक्किम	0
तमिलनाडु	647
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	0
उत्तराखंड	193
पश्चिम बंगाल	93
कुल	**3058**

जिन 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 8395 स्वयंसेवक तैनात किए जाने हैं वर्तमान में वहां पर माई भारत स्वयंसेवकों की तैनाती प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम के अंतर्गत स्वयंसेवकों को शामिल होते समय प्रारंभिक प्रशिक्षण और सेवा अवधि के दौरान क्षमताओं के संवर्धन के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करती है। मेरा युवा भारत के जिला स्तर के अधिकारी स्वयंसेवकों की निगरानी, क्षेत्रीय मार्गदर्शन और समय-समय पर उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रशिक्षण, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और क्षेत्र स्तर की निगरानी के इस फ्रेमवर्क को ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिले सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से कौशल विकास के कार्यकलापों/कार्यक्रम/स्कीमों को क्रियान्वित करती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, वर्ष 2020 से अब तक कौशल विकास के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

i. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई): यह मंत्रालय देशभर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और अपस्किलिंग और री-स्किलिंग के लिए पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य युवाओं की रोजगारक्षमता को बढ़ाना और उन्हें उद्योग के लिए आवश्यक कौशल से लैस करके रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना है। पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत धनराशि जिला-वार आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, बालासोर जिले में कौशल विकास के लिए उपयोग की गई धनराशि का वित्तवर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ ₹ में)

राज्य	जिला	वि.व 2020-21	वि.व 2021-22	वि.व 2022-23	वि.व 2023-24	वि.व 2024-25
ओड़िसा	बालासोर	1.52	1.01	0.43	1.11	0.72

ii. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: मंत्रालय द्वारा पूर्व में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं जैसे कि 'सीखो और कमाओ', 'नई रोशनी' और 'नई मंजिल' क्रियान्वित की जा रही थीं जिन्हें अब एक समेकित योजना 'प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' के तहत लाया गया है। इन स्कीमों को केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया गया था। इन स्कीमों के तहत, जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार वित्तीय डेटा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, चूंकि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं, जो कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालन करती हैं, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय डेटा भी उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन योजनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित ओडिशा राज्य के लिए लक्षित आवंटन का डाटा इस प्रकार है:-

- **सीखो और कमाओ:** 'सीखो और कमाओ' का आरंभ भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए सितंबर 2013 में एक प्लेसमेंट-लिंक्ड, कौशल विकास योजना के रूप में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल का उन्नयन करना था, जो उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझान और बाजार की संभावनाओं पर निर्भर करता था ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें या स्व-रोजगार करने के लिए उपयुक्त कौशल हासिल कर सकें।
- **नई मंज़िल:** नई मंज़िल स्कीम का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं में से स्कूल छोड़ चुके छात्रों तक पहुँच बनाना और उन्हें मुक्त विद्यालय (ओपन स्कूलिंग) प्रमाणन (ओबीई) के माध्यम से 8वीं/10वीं कक्षा की शिक्षा और न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए एनएसक्यूएफ-समर्थित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था, ताकि वे रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। लाभार्थियों में अन्य के साथ-साथ ऐसे छात्र शामिल थे जिन्हें मदरसों जैसी सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त हुई थी या जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र नहीं था। नई मंज़िल स्कीम मंत्रालय के लिए विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया पहला कार्यक्रम था और विश्व बैंक द्वारा इसके वित्तपोषण में 50% योगदान किया गया था। ओडिशा राज्य में प्रशिक्षित कुल लाभार्थियों की संख्या 1240 थी।
- **नई रोशनी:** नई रोशनी स्कीम एक अनूठा महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं, साथ ही उनके पडोस की अन्य समुदायों की महिलाओं को सरकारी प्रणाली, बैंक और अन्य संस्थानों

से प्रत्येक स्तर पर संवाद करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास विकसित करना था। लक्षित महिलाओं को छह दिवसीय मॉड्यूलर प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार और लाभ से संबंधित विभिन्न नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया था।

- प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो पूर्व की पाँच स्कीमों अर्थात् 'सीखो और कमाओ', 'नई मंज़िल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर' को समेकित करता है। यह स्कीम निम्नलिखित तरीकों से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है:

  क. कौशल विकास और प्रशिक्षण (पारंपरिक और गैर-पारंपरिक)

  ख. महिला नेतृत्व और उद्यमिता

  ग. शिक्षा (राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान के माध्यम से)

  घ. अवसंरचना विकास (प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

  पीएम विकास स्कीम के तहत, ओडिशा राज्य के लिए डब्ल्यूएपीसीओएस (वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड) और भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान को लगभग 1,400 लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

iii. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग: बालासोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) स्थित हैं। इन केवीके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु.)	उपयोग की गई धनराशि (रु.)
2020-21	77	664000	664000
2021-22	20	15500	15500
2022-23	22	23000	23000
2023-24	98	138750	138750
2024-25	244	316000	316000

iv. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग: प्रधानमंत्री – दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) स्कीम जो एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और जिसे वर्ष 2020-21 में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, को डीओएसजेई की तीन निगमों यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता था । बालासोर में इन निगमों द्वारा कौशल

विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत और उपयोग/जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(लाख ₹)

जिला	वि.व 2020-21	वि.व 2021-22	वि.व 2022-23	वि.व 2023-24	वि.व 2024-25
स्वीकृत धनराशि	1.98	10.85	8.14	-	-
उपयोग/जारी की गई धनराशि	1.85	8.31	5.7	-	-

v. **जनजातीय कार्य मंत्रालय:** यह मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) के माध्यम से 'प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये केंद्र मुख्य रूप से जनजातीय एसएचजी का समूह होते हैं, जिन्हें मूल्य संवर्धन और एमएफपी / गैर-एमएफपी के विपणन के माध्यम से व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए बनाया गया है। एक वीडीवीके की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। वीडीवीके के सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, वीडीवीके की स्थापना का एक अभिन्न अंग है। ओडिशा में, पीएमजेवीएम स्कीम के तहत अब तक 170 वीडीवीके को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 2479.25 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और जिनमें 50,094 सदस्य शामिल हैं। जबकि पीएम जनमन स्कीम के तहत 66 वीडीवीके को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 263 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और इनमें 5,244 सदस्य शामिल हैं।

vi. **उच्चतर शिक्षा विभाग:** यूजीसी ने 2014-15 से 2021 तक सामुदायिक महाविद्यालयों, बी.वोकेशनल डिग्री कार्यक्रमों और दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन एवं कुशल मानव क्षमता एवं आजीविका उन्नयन केंद्र (डीडीयू कौशल) स्कीम के माध्यम से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अंतर्गत देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने सामुदायिक महाविद्यालयों और बी.वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020 से अब तक, बालासोर जिला सहित ओड़िशा राज्य के लिए कुल ₹36.58 लाख (प्रतिपूर्ति आधार पर) जारी किए हैं। स्वीकृत कार्यक्रमों की अवधि समाप्त हो गई है और कोई नई अनुदान राशि स्वीकृत/जारी नहीं की गई है। खातों के निपटान के लिए जारी किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	एचईआई का नाम	अनुदान जारी किए जाने का वर्ष	जारी अनुदान (लाख रु. में) (प्रतिपूर्ति के आधार पर)
	स्कीम: सामुदायिक महाविद्यालय		
1.	फक़ीर मोहन महाविद्यालय, जिला बालासोर, ओडिशा	2023-24	12.75
2.	धरणीधर विश्वविद्यालय, जिला-कचनझा, ओडिशा	2023-24	07.78
	कुल		20.53
	स्कीम: बी. वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम		
3.	फक़ीर मोहन महाविद्यालय, जिला बालासोर, ओडिशा	2021-22	16.05
कुल योग			36.58

vii. कृषि और किसान कल्याण विभाग: यह विभाग वर्ष 2015 से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में कृषि में कार्यरत महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं/किसानों को प्रशिक्षण देना है। इस घटक के तहत 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति बैच 15 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विशेष व्यावसायिक क्षेत्रों पर बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक और निजी/गैर-सरकारी संस्थाएँ, जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठन, युवा संगठन (जैसे मेरा युवा भारत केंद्र), कृषि विज्ञान केंद्र आदि सक्रिय रूप से शामिल हैं। एसटीआरवाई के तहत, एटीएमए कैफेटेरिया की लागत मानकों के अनुसार प्रति किसान प्रति दिन 400 रुपये के हिसाब से 15 उम्मीदवारों के एक बैच के कौशल प्रशिक्षण के लिए 42,000 रुपये का प्रावधान है। एसटीआरवाई के अंतर्गत कवर किए गए प्रमुख क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन तकनीक, बकरी पालन और प्रबंधन, स्वच्छ दूध उत्पादन, जैव-उर्वरक का उत्पादन, वर्मी-कंपोस्टिंग, फल और सब्जियों की कटाई के बाद प्रसंस्करण और पैकेजिंग, कृषि मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, बागवानी फसलों का नर्सरी प्रबंधन, मछली पालन और प्रबंधन, पोल्ट्री पालन और प्रबंधन, फल और सब्जियों का जैविक उत्पादन, एकीकृत डेयरी विकास, फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन, बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण तथा जैव-कीट नियंत्रण आदि शामिल हैं। एसटीआरवाई कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एमएएनएजीई, हैदराबाद को जारी की जाती हैं।

****